मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2010 (श्रावण 4, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. निशिथ पटेल, श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, उमरिया जिले के ग्राम कुचवाही स्थित आदिवासी की भूमि की अवैध बिक्री किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री राधेलाल बघेल, मनीराम धाकड़, परसराम मुद्‌गल, सदस्य, रीवा जिले के अतरैला थानान्तर्गत डीजल/पेट्रोल की अवैध दुकान में आग लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र के अनेक ग्रामों की नलजल योजनाएं अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पौध तैयार करने हेतु दी गई राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर उद्यानिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति का 77 वां से 88 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. यचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के -

- (क) तहसील रामपुर बघेलान में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,
- (ख) तहसील रामपुर बघेलान की जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूलों में उन्नयन किये जाने,
- (ग) तहसील रामपुर बघेलान के ग्राम खाम्हा एवं ढ़ोढी के बीच टमस नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
- (घ) तहसील रामपुर बघेलान में कृषि उपज मंडी खोले जाने, तथा
- (ङ) भोपाल शहर के वार्ड नम्बर 58 समन्वय कालोनी में हैण्डपंप खनन किये जाने,

(2) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य, सतना जिले के -

- (क) विकासखण्ड रामनगर के न्यू मिरगौती से पुरानी मिरगौती तक सड़क बनाये जाने,
- (ख) विकासखण्ड अमरपाटन के ग्राम-मुकुन्दपुर एवं रैकवार में पशु औषद्यालय खोले जाने,
- (ग) विकासखण्ड रामनगर के ग्राम-देवदहा व भरतपुर में ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने,
- (घ) विकासखण्ड अमरपाटन में पार्क एवं बस स्टैण्ड निर्माण किये जाने, तथा
- (ङ) विकासखण्ड अमरपाटन की शासकीय हाईस्कूल करही को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

- (क) विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम गोघटपुर की हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (ख) कन्या प्राथमिक विद्यालय सोमवरिया बल्डी खिलचीपुर को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
- (ग) ग्राम पंचायत गागोरनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
- (घ) ग्राम पंचायत-गागोरनी की शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय को कन्या माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,

(4) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

- (क) विकासखण्ड सांईखेडा के ग्राम नांदनेर की हायर सेकेण्ड्री स्कूल में विज्ञान संकाय खोले जाने, तथा
- (ख) विकासखण्ड चीचली की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने,

(5) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर जिले के -

- (क) ग्राम पंचायत निवारी के ग्राम-हर्ररई तक सड़क बनाये जाने,
- (ख) शहर के वार्ड नम्बर 30 स्थित खुले नाले को ढ़कवाये जाने, तथा
- (ग) ग्राम पराचौकी से रसोईया भाटन तक सड़क बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 23 नवम्बर, 2009 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 118 (क्रमांक 2067) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

7. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 77 तथा 79 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार तीन सौ सत्तर करोड़, तेरह लाख, छिहत्तर हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

3 घन्टे

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) का *पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे (2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा 30 मि. (शेष 30 मि.)

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 25 जुलाई, 2010

***अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**